


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ0सं0-01/स्था0 (अभियंता)-40/2014- 500) न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक 20/09/18
श्री दिलीप पासवान, कनीय अभियंता (संविदा), जिला शहरी विकास अभिकरण-1, पटना एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभियंता (संविदा), जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पूर्णकालिक रूप से पटना नगर निगम, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तुरत के प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-
(के0डी0 प्रौज्वल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (अभियंता)-40/2014 500) / न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक 20/09/18
प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण-1, पटना/जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना/श्री दिलीप पासवान, कनीय अभियंता (संविदा), जिला शहरी विकास अभिकरण-1, पटना एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभियंता (संविदा), जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।